रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 659] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 1989/आश्विन 21, 1911

No. 659] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 1989/ASVINA 21, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

(भेषज प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1989

का.आ. 817(अ).—केन्द्रीय सरकार विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 2,3,4 और 5 के साथ पठित, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आदेश के उपाबंध-1 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए औषध एवं भेषज उद्योग विकास परिषद् के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट और नियुक्त करती है।

2. उक्त विकास परिषद् इस आदेश के उपाबन्ध II में यथा विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करेगी।

3. श्री श्याम सूरी संयुक्त सचिव भारत सरकार रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग, नई दिल्ली को उक्त विकास परिषद् के सदस्य सचिव के कृत्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

[प. 7(22)/86-पी 1(II)]

श्याम सूरी, संयुक्त सचिव

औषध और भेषज उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की सूची

उपाबन्ध-I

1. सचिव, भारत सरकार रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	अध्यक्ष
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
3. भारत के औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
4. अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्	सदस्य
5. निदेशक, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान	सदस्य
6. अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान संगम	सदस्य
7. अध्यक्ष, भारतीय भेषजी निर्माता संगठन	सदस्य

8.	अध्यक्ष, भारतीय औषधि विनिर्माता संगम	सदस्य
9.	अध्यक्ष, लघु उद्योग सैक्टर संगम	सदस्य
10.	अध्यक्ष, भेषजी सहबद्ध विनिर्माता, वितरक संगम	सदस्य
11.	अध्यक्ष बेसिक रसायन, भेषज और प्रसाधन निर्यात उत्पादन परिषद्	सदस्य
12.	सचिव, तकनीकी विकास महानिदेशालय या उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
13.	अखिल भारतीय उपभोक्ता परिषद् या उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
14.	अखिल भारतीय भेषजज्ञ और संवितरक संगम या उसके नामनिर्देशिती	सदस्य
15.	निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	सदस्य
16.	एक प्रमुख श्रमिक नेता	सदस्य
17.	सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय या उसके नामनिर्देशिती	सदस्य
18.	सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या उसके नामनिर्देशिती	सदस्य
19.	विशेष सचिव, परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय या नामनिर्देशिती	सदस्य
20.	अध्यक्ष, औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो	सदस्य
21.	निदेशक, भारतीय रसायन तकनीकी संस्थान, हैदराबाद	सदस्य
22.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार रसायन और पैट्रोरसायन विभाग, भारसाधक, भेषज प्रभाग	सदस्य-सचिव

उपाबन्ध-II

औषधि और भेषज उद्योग के लिए विकास परिषद् के कृत्य

(1) उत्पादन के लक्ष्यों की सिफारिश करना, उत्पादन कार्यक्रमों का समन्वय करना और प्रगति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना,

(2) अपशिष्ट का उन्मूलन करने, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने, क्वालिटी में सुधार करने और लागत में कमी करने की दृष्टि से दक्षता के सन्नियमों का सुझाव देना,

(3) संस्थापन क्षमता का पूर्णतया उपयोग करने और उद्योग के विशेषतया कम दक्ष एककों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उपायों की सिफारिश करना,

(4) उद्योग के उत्पाद के बेहतर विपणन के लिए इंतजाम की अभिवृद्धि करना और उसके वितरण तथा विक्रय की ऐसी प्रणाली की स्थापना करने में सहायता देना जो उपभोक्ता के समाधान प्रद रूप में हो,

(5) उत्पादकों के मानकीकरण की अभिवृद्धि करना,

(6) नियंत्रित सामग्री के वितरण में सहायता करना और उद्योग के लिए सामग्री प्राप्त करने के इंतजाम की अभिवृद्धि में सहायता करना,

(7) सामग्री और उपस्कर तथा उत्पादन, प्रबंध और श्रम उपयोग, जिसके अन्तर्गत नई सामग्री, उपस्कर और उनके सुधार की पद्धतियां जो पहले से ही प्रयोग में हैं, का पता चलाने और विकास, भिन्न-भिन्न अनुकल्पी साधनों का निर्धारण और वाणिज्यिक आधार पर स्थापन प्रयोग तथा परीक्षणों का संचालन का सम्प्रवर्तन करना या जांच करना,

(8) उद्योग में लगे हुए या लगने की प्रस्थापना करने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण और उससे सुसंगत तकनीकी या कलात्मक विषयों में उनकी शिक्षा का संप्रवर्तन करना,

(9) उद्योग में लगे हुए या उससे छटनी किए हुए कामिकों को अनुकल्पी उप-जीविकाओं में पुनः प्रशिक्षण का अभिवर्धन करना,

(10) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का, औद्योगिक मनोविज्ञान पर प्रभाव डालने वाले विषयों में अनुसंधान का और उत्पादन से संबंधित विषयों में अनुसंधान का तथा उद्योग द्वारा प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के उपभोग या उपयोग की अभिवृद्धि करना या उनमें अनुसधान करना,

(11) लेखा और लागत पद्धतियों तथा प्रथाओं के सुधार और मानकीकरण की अभिवृद्धि करना,

(12) आंकड़ों के संग्रहण और सूत्रण की अभिवृद्धि करना या उनका उपक्रम करना,

(13) सहबद्ध लघु और कुटीर उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विकेन्द्रीकरण के उपक्रमों और उत्पादन की प्रक्रिया की संभावनाओं की जांच करना,

(14) श्रम की उत्पादकता में जिसके अन्तर्गत कर्मकारों के लिए सुरक्षात्मक और बेहतर दशाएं सुनिश्चित करने के उपाय तथा उनके लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था और उनमें सुधार और प्रोत्साहन भी है, वृद्धि करने के उपायों की स्वीकृति का अभिवर्धन,

(15) उद्योग से संबंधित किन्हीं विषयों के बारे में सलाह देना (पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तों से भिन्न) जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार विकास परिषद से सलाह देने के लिए अनुरोध कर सकती है और सलाह देने के लिए विकास परिषद् को समर्थ बनाने के प्रयोजन से जांच करना, और

(16) अभिप्राप्त जानकारी उद्योग को उपलब्ध कराने के लिए और उन विषयों के बारे में जिनसे विकास परिषद् अपने कृत्यों का प्रयोग करते हुए संबंधित है, सलाह देने के लिए प्रबंध करना।

MINISTRY OF INDUSTRY

Department of Chemicals and Petro-Chemicals

(Pharmaceutical Division)

ORDER

New Delhi, the 13th October, 1989

S.O. 817 (E). In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2, 3, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby nominates and appoints, for a period of two years from the date of publication of this order in the official Gazette, the persons specified in Annexure-I to this Order as Chairman and Members of the Development Council for the Drugs and Pharmaceuticals Industry.

2. The said Development Council shall perform the functions as are specified in Annexure-II to this Order.

3. Shri Shyam Suri, Joint Secretary to the Government of India, Department of Chemicals and Petro-Chemials, New Delhi is hereby appointed to carry on the functions of the Members-Secretary to the said Development Council.

[No. 7(22)/86-PI (II)]

SHYAM SURI, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

LIST OF THE CHAIRMAN AND MEMBERS OF THE DEVELOPMENT COUNCIL FOR DRUGS AND PHARMACEUTICALS INDUSTRY.

1.	Secretary to the Government of India, Department of Chemicals and Petrochemicals	Chairman
2.	Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare	Member
3.	Drug Controller of India, Ministry of Health and Family Welfare	Member
4.	Chairman, Indian Council of Medical Research	Member
5.	Director, Central Drug Research Institute	Member
6.	President, Indian Medical Association	Member
7.	President, Organisation of Pharmaceutical Producers of India	Member
8.	President, Indian Drug Manufacturers Association	Member
9.	President, Small Scale Sector Industries Association	Member
10.	President, Pharmaceuticals Allied Manufacturers, Distributor Association	Member
11.	Chairman, Basic Chemicals, Pharmaceuticals and Cosmetics Export Production Council	Member
12.	Secretary, Directorate General of Technical Development or his nominee	Member
13.	All India Consumers Council or its nominee	Member
14.	All India Chemists and Distributors Association or its nominee	Member
15.	Director, All India Institute of Medical Sciences	Member
16.	A Prominent Labour Leader	Member
17.	Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce or his nominee	Member
18.	Secretary to the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare or his nominee	Member
19.	Secretary, Department of Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare or his nominee	Member
20.	Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices	Member
21.	Director, Indian Institute of Chemical Technology Hyderabad.	Member
22.	Joint Secretary to the Government of India, Department of Chemicals and Petrochemicals, Incharge of Pharmaceutical Division.	Member Secretary

ANNEXURE-II

FUNCTIONS OF THE DEVELOPMENT COUNCIL FOR DRUGS AND PHARMACEUTICALS INDUSTRY

1. Recommending targets for production, co-ordinating production programmes and reviewing progress from time to time.
2. Suggesting norms of efficiency with a view to eliminating waste, obtaining maximum production, improving quality and reducing cost.
3. Recommending measures for securing the fuller utilisation of the installed capacity and for improving the Working of the industry, particularly of less efficient units.
4. Promoting arrangements for better marketing and helping in the devising of a system of distribution and sale of the produce of the industry which would be satisfactory to the consumer.
5. Promoting standardisation of products.
6. Assisting in the distribution of controlled materials and promoting arrangements, for obtaining materials for the industry.
7. Promoting or undertaking, inquiry as to materials and equipment and as to methods of production, management and labour utilisation, including the discovery and development of new materials, equipment and methods, and of improvements in those already in use, the assessment of the advantages of different alternatives and the conduct of experimental establishments and of tests on a commercial scale.
8. Promoting the training of persons engaged or proposing engagement in the industry and their education in technical or artistic subjects relevant thereto.
9. Promoting the retraining in alternative occupations of personnel engaged in or retrenched from the industry.
10. Promoting or undertaking scientific and industrial research, research into matters affecting industrial psychology and research into matters and to the consumption or use of relating to production goods and services supplied by the industry.
11. Promoting improvemnts and standardisation of accounting and costing methods and practice.

12. Promoting or undertaking the collection and formulation of statistics.

13. Investigating possibilities of decentralising stages and process of production with a view to encouraging the growth of allied small scale and cottage industries.

14. Promoting the adoption of measures for increasing the productivity of labour, including measures for securing safer and better working conditions and the provision and improvements of amenities and incentives for worker

15. Advising on any matters relating to the industry (other than remuneration and conditions of employment) as to which the Central Government may request the Development Council to advise and undertaking inquiries for the purpose of enabling the Development Council so to advise.

16. Undertaking arrangements for making available to the industry information obtained and for advising on matters with which the Development Council are concerned in the exercise of any of their functions.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989